

2021/164

फर्द अहकाम

बस्सी

बनाम नारायण राम

न्यायालय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

स्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : इलाहाबाद प्रपत्र 3/21

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2-7-21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित है रिपोर्ट प्रेषित तब ही हो चुकी है। पत्रावली इस रजिस्ट्रार है। वकील पक्षी ने इलाहाबाद प्रपत्र पेश कर राजस्थान वाड उतवार चला कराने नारायण राम कु.सं. 21/68 निवासी डिपो 16/10-15 की पालन रहे हुए निवेदन किया है। वही नारायण राम को पालन रहे हुए निवासी नारायण राम डिपो 29-7-21 को पेश है।</p>	<p>1604 15-2-25</p>
	29/7/21	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।</p>	
	7-9-21	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5-10-21 को पेश हो।</p>	
05/10/21		<p>राजस्थान सरकार (यु.प.1) विभाग के आदेश क्रमांक राज-1/2021 दिनांक 03-09-2021 के अन्तर्गत पत्रावली प्रशासन गांवों के समुदाय 2021 में केम्प कोर्ट में दिनांक 03/12/21 को पेश हो। पक्षकारों का केम्प नारायण राम जारी हो।</p>	
3-12-21		<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक राज-1/2021 दिनांक 03-09-2021 के अन्तर्गत पत्रावली प्रशासन गांवों के समुदाय 2021 में केम्प कोर्ट में दिनांक 03/12/21 को पेश हो। पक्षकारों का केम्प नारायण राम जारी हो।</p>	

सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर

2021/164

फर्द अहकाम

चौकदा

बनाम मानगराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	ति
		<p>पत्रावली है तदनुसार कर्माह्वय उक्त इजलास प्र. पत्र को पालना कर जा चुकी है अब उक्त इजलास प्र. पत्र को कोर्ट पालना होय नहीं होत है उक्त पत्र को आज चले जाये कोर्ट कोर्ट नहीं है अतः पत्र को पालना कर इजलास खालि किया जाता है (पालना नम्बर से कर होकर काउन्सिल दाखिल कराए।</p> <p>आज दिनांक 3-12-21 को यह निर्णय प्रशासनिक कोर्ट के द्वारा उक्त पत्र को उक्त नम्बर से नम्बर आने में हुआ था अतः।</p>	